स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक/अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
सिजुआ, दुमुदुमा,
भुवनेश्वर– 751019

पटना, दिनांक..... .....

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राहुल कुमार पिता– बीरेद्र प्रसाद भगत ग्राम+पो0– दिधरी थाना– कोढ़ा जिला– कटिहार यूएचआईडी नं0-- 219172600075307	लीवर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000 /– **(साठ हजार)** रूपये का क्रास चेक सं0 002683 .... मूल रूप मे संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाय।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा **AIIMS** के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापरा किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1748(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ संबंधित मरीज /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक. ....

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अवधेश कुमार सिह पिता– त्रिवेणी सिह ग्राम– बौर पो0– जाखिम थाना– रफीगंज जिला– औरगाबाद यूएचआईडी नं0– 107582631	कैसर / बोन मैरो	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
2	मो0 अमानुल्ला पिता– मो0 रहमतुल्ला ग्राम+पो0– सलेमपुर थाना– टाउन जिला– मधुबनी यूएचआईडी न0– 108246366	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 3,00,000/– (तीन लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 10874588593, खाता धारक का नाम– AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैंक का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0– SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1746 (14) पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002686 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनाक ....

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सारितेय शंकर धर्मेदु पिता–रामाज्ञा प्रसाद यादव ग्राम– पीलखी पो0– पकडी थाना–मशरख जिला–सारण यु0एचआईडी–108733695	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			4,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,00,000/– (चार लाख)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 – 10874584010, खाता धारक का नाम– **निदेशक, अ0 भा0 आ0 सं0**, खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)**, RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1747(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी0–1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनाक. ....

विषयः– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मास्टर अमृत राज माता– पिकी कुमारी ग्राम– नियर गाँधी मूर्ति तकियापर पो0– दीघा थाना– दानापुर जिला– पटना	Traumatic Pancreatitis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विद्या रतन सिह पिता–नियम पाल सिह ग्राम–नया टोला, दानापुर पो0–दानापुर थाना–दानापुर कैंट जिला– पटना	लीवर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,75,000/– (एक लाख पचहत्तर हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002685 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50100143852078 खाता धारक का नाम–"**इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साईंस**" खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **एच0डी0एफ0सी0 बैंक,** शाखा का नाम–Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, **ब्रांच,** RTGS/ IFSC कोड स0 HDFC0000273 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावरूयक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1749 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/.एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Max Smart Super Speciality Hospital
(A Unit of Gujarmal Modi Hospital &
Research Centre of Medical Sciences),
Press Enclave Road, Saket
New Delhi - 110017

पटना, दिनाक..... ....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

"मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	नीतिश कुमार पिता– मगल प्रसाद ग्राम– दानागज पो0– धोबियाकालापुर थाना– नौबतपुर जिला– पटना	ब्रेन ट्यूमर / सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/– (एक लाख) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **006194600000143,** खाता धारक का नाम– **Max Smart Super Speciality Hospital,** खाते का प्रकार– **Saving Account**, बैक का नाम– **Yes Bank Limited,** शाखा का नाम– **E-31, Saket, New Delhi,** RTGS/IFSC कोड स0 **YESB0000061** में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना**

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1750 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–1 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Metro Hospitals & Heart Institute,
X-1, Sector-11-12,
L-94 Noida - 201301

पटना, दिनाक .. . ..

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	आदित्य कुमार पिता– विजय कुमार ग्राम– इदिरा नगर दलदली बाजार, पोस्ट–छपरा थाना– नगर जिला– सारण	बोन मैरो ट्रांस्प्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,50,000 / – (चार लाख पचास हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान / अस्पताल के खाता सं0– 4127008700003187 खाता धारक का नाम–METRO INSTITUTES OF MEDICAL SCIENCES PVT LTD, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– PUNJAB NATIONAL BANK LIMITED, शाखा का नाम–SECTOR-1, NOIDA, U.P. - 201301, RTGS/ IFSC कोड स0 PUNB0412700 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत**

करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1751 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर–38, गुरूग्राम, हरियाणा,
पिन–122001

पटना, दिनाक . .. .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	मो0 अन्दलीब अहमद पिता– स्व0 अब्दुल अहद अजीजी ग्राम– नया टोला पो0– कांकीपुर थाना– पीरबहोर जिला– पटना	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	हरि नाथ सिह पिता–नागेन्द्र सिह ग्राम–बहसी सैदपुर पो0–कादिलपुर थाना–जन्दाहा जिला– वैशाली	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	अनिता देवी पति–अभय सिंह ग्राम+पोस्ट–अहिरवलीया थाना– कोटवा जिला– पूर्वी चम्पारण	वृहत ब्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	कुदन कुमार जायसवाल पिता– दिनेश प्रसाद जायसवाल ग्राम+पो0–गुरूबाजार थाना–बरारी जिला– कटिहार	हृदय रोग डी0 भी0 आर0 सर्जरी क्रिटिकल	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

5	सुरेद्र प्रसाद मिश्रा पिता– रामानंद मिश्रा ग्राम+पो0– नागदाह थाना– सिघौल जिला– बेगूसराय	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			10,55,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,55,000/– (**दस लाख पचपन हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**106905001433,** खाता धारक का नाम– **ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0, पेयबल– दिल्ली/गुड़गांव,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–ICICI Bank, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड स0 ICIC0001148 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1752(14) पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002686 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11–1 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
S'hushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक. ... ...

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	मालती कुमारी पति– रवि रजन प्रसाद गुप्ता ग्राम– तियरा पो0– मनोहरपुर थाना– राजपुर जिला– बक्सर	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/–** (**एक लाख**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **41120248418,** खाता धारक का नाम– Global Health Limited, खाते का प्रकार– , बैंक का नाम– STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड सं0– SBIN0004298 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1753(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0..002686..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक, प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,–226014

पटना, दिनाक. .

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राषि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक शर्मा पिता– विरेंद्र शर्मा ग्राम+पो0– रामपुर थाना– गौरा बाजार जिला– सारण सीआर न0– 2014186424	हेपोटाईटिस रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मनीष कुमार पटेल पिता– बच्चा टेल ग्राम– नवका टोला मैरवा पो0+थाना– मैरवा जिला– सिवान सीआर न0– 2025194898	JIA - ERA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	नाजिया खातून पति– आफताब आलम ग्राम+पो0– गुदरा थाना– मझौलिया जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर न0– 2021332925	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	विशाल कुमार पिता– रजीत कुमार ग्राम+पो0– सहिला बल्ली थाना– हथौडी जिला– मुजफ्फरपुर सीआर नं0– 20191094058	वृहत ब्रेन सर्जरी	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	अर्नव पटेल पिता– सुमन साहनी ग्राम– जगतपुर पो0+थाना– तेलमर जिला– नालदा सीआर नं0– 2026297822	Extrahepatic Portal Vein Obstruction & Portal Vein Thrombosis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सतेद्र यादव पिता– हरदेव यादव ग्राम– अमवा पो0+थाना– भोरे जिला– गोपालगज सीआर न0– 2021710181	CKD ESRD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	रॉकी गुप्ता पिता– रजीत कुमार ग्राम+पो0– प्रहलादपुर थाना– मुशहरी जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2026229351	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
8	सुजय कुमार गुप्ता पिता– रामलाल प्रसाद ग्राम– आदमपुर पो0– तोरनी थाना– शिवसागर जिला– रोहतास सीआर न0– 2015059650	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	राहुल कुमार पाडेय पिता– शिवेद्र कुमार पांडेय ग्राम+पो0– टंडवा परसा थाना– एम एच नगर जिला– सिवान सीआर नं0– 2024771412	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	सध्या देवी पति– आनद कुमार पांडेय ग्राम+पो0– जईछपरा थाना– माझी जिला– सारण सीआर नं0– 2019758390	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	कान्ति देवी पति– रघुशरण प्रसाद ग्राम+पो0– बादर जमीन थाना– भगवानपुर हाट जिला– सिवान सीआर नं0– 2025379870	Aplastic Anemia	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	आदित्य कुमार (5yrs) पिता– कपिल दास ग्राम+पो0+थाना– पटखौली जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर न0– 2026365381	PFUI	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

13	ब्रजेश पाडेय पिता– पुरूषोत्तम पाडेय ग्राम– मकुन्दपुर पो0– धरकन्धा थाना– दिनारा जिला– रोहतास सीआर न0– 2026430137	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	बशी धर पाल पिता– स्व0 रामकुमार पाल ग्राम+पो0– धनेज थाना– करगहर जिला– रोहतास सीआर नं0– 2011733413	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
15	गृजेश साव पिता– मून साव ग्राम+पो0– कारा थाना– ओबरा जिला– औरंगाबाद सीआर न0– 20251018890	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	मनीष कुमार पिता– महावीर केवट ग्राम+पो0– राणाबीघा थाना– दीपनगर जिला– नालदा सीआर न0– 2017558338	थर्मोसाइटमेनिया रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	विपुल मिश्रा पिता– श्रीमुनि मिश्रा ग्राम– रामपुर पो0– पिपरा थाना– करगहर जिला– रोहतास सीआर न0– 2019458052	ह्रदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
18	अनुष्का कुमारी पिता– सतोष कुमार ग्राम– ब्लॉक रोड रक्सौल पो0+थाना– रक्सौल जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर नं0– 2020077063	Wilson Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
19	रोहित कुमार राय पिता– ब्रजेश कुमार राय ग्राम+पो0– दामोदरपुर थाना– बहोरनपुर जिला– भोजपुर सीआर न0– 2026332381	alymcal Couramide Empyena	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
20	रोहित कुमार पिता– बिरेद्र सिह ग्राम+पो0– धौधाड थाना– सासाराम जिला– रोहतास सीआर न0– 2021399872	WLE + STSG	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

21	अनिल राय पिता– रामजीत राय ग्राम– सनीचदा पो0– मुबारकपुर थाना– मढौरा जिला– सारण सीआर नं0– 2025134153	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	बासमती देवी पति– महेंद्र यादव ग्राम– रामपुर कला पो0– राधागज थाना– फुलवरिया जिला– गोपालगंज सीआर नं0– 20221067762	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	प्रविद्र कुमार यादव पिता– नागेश्वर राय ग्राम+पो0– अमृतपुर थाना– वैशाली जिला– वैशाली सीआर न0– 2023006017	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
24	पवन कुमार पिता– सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम– कारखाना टोला पतिलार पो0– पतिलार थाना– चौतरवा जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर नं0– 2024456870	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	रेनू मिश्रा पति– विद्या भूषण मिश्रा ग्राम+पो0– भरौली थाना– शाहपुर जिला– भोजपुर सीआर न0– 2012229999	Renal Dysfunction	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	रीता देवी पति– लालबाबू प्रसाद ग्राम+पो0– माहपुर थाना– बोचहा जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2017924621	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	अनिल कुमार पिता– राजेन्द्र सिह ग्राम– बराव पो0– पडरिया थाना– बघेला जिला– रोहतास सीआर न0– 2021718012	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

28	ओदे हसन (ODAY HASAN) पिता– हसन सादत ग्राम– फ्लैट न0– 306 लोटस अपार्टमेंट नई पाटलिपुत्र कॉलोनी पो0+थाना– पाटलीपुत्रा जिला– पटना सीआर न0– 2018798745	Extrahepatic Portal Vein Obstruction	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
29	प्रभु सिह पिता–रामदेव सिंह ग्राम+पो0–मधुबनी थाना– सग्रामपुर जिला– पूर्वी चम्पारण सीआरन0–2025749883	Brain Tumer (Surgery)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			30,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,80,000/– **(तीस लाख अस्सी हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम–''**निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0** खाता'' खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**भारतीय स्टेट बैंक**, शाखा का नाम–**एस0जी0पी0जी0आई0**,RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना**

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1754(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002684 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइस
वाराणसी –**221005**

पटना, दिनाक..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है.–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	मृतुन्जय कुमार पिता– जगदीश सिह यादव ग्राम– कोराईपुर पो0+थाना– ओबरा जिला– औरंगाबाद एमआरडी नं0– 8284128	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	प्रमिला देवी पति– रामनिवाश सिह ग्राम– कवई पो0– सेमरी थाना– दावत जिला– रोहतास एमआरडी नं0– 7933616	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	सगम कुमार पिता– रामबली पासवान ग्राम– पहाडपुर पो0– बर्मा थाना– गुरारू जिला– गयाजी एमआरडी नं0– 8018155	Wilson's Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सुदामी देवी पति– राधेश्याम राम ग्राम– भानपुर पो0– कुरारी थाना– दुर्गावती जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी न0– 7702758	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	आशा देवी पति– अजय कुमार गुप्ता ग्राम– मणि रोड मुरारपुर गया पो0– आर0 एस0 गया थाना– कोतवाली जिला– गयाजी एमआरडी न0– 8337965	Poleyradicnlopathy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सोना देवी पति– विरेन्द्र पाडेय ग्राम– बघैला पो0+थाना– चाद जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी न0– 8031502	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	रग बहादुर तिवारी पिता– राम स्वरूप तिवारी ग्राम+पो0– बिसेनी कला थाना– राजपुर जिला– रोहतास एमआरडी नं0– 7863828	Paralysis Stroke	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 5,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,85,000/– (**पाँच लाख पचासी हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **Bank of Baroda**, शाखा का नाम– **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि**

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1755 (14) पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनाक. ...

विषय.– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बटोरण ताती पिता– महंथी ताती ग्राम+पो0– साहो थाना– बिरौल जिला– दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	नागेन्द्र भगत पिता– सीताराम भगत ग्राम– बभनौली पो0– शेखपुरा थाना– बसंतपुर जिला– सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जयश्री कुमार गुप्ता पिता– मोतीलाल गुप्ता ग्राम– टेकारी कला पो0– सोधी थाना– मोहनियॉ जिला– कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राधे श्याम पाण्डेय पिता– लाली पाण्डेय ग्राम– गोसैसिपुर पो0+थाना– दुर्गावती जिला– कैमूर भभुआ	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	शैरा खातून पति– शेर मोहम्मद ग्राम– नेकरा पो0– मुरादाबाद खुर्द थाना– अगरेर जिला– रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 4,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,20,000/–(चार लाख बीस हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता सं0–

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 ....द्वारा आहरि कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**36180579026,** खाता धारक का नाम– **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार– , बैंक का नाम– **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,** शाखा का नाम– **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN0009252 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1756 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0..002686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि'–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 16/6/26

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
होमी भाभा कैसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनाक .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	कमला देवी पति– रामबली यादव ग्राम– लालगंज पो0– बिन्दा थाना– मोहनपुर जिला– गयाजी केस फाईल न0– 18एफ2026/001827	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	मास्टर रितेश चौरसिया पिता– प्रदीप कुमार चौरसिया ग्राम– महुअवा पो0– बी डी महुअवां थाना– विजयीपुर जिला– गोपालगज केस फाईल नं0– 16एफ2025/000528	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सोनी कुमारी पति– अजित कुमार ग्राम– बोधगया सीढियाघाट पो0+थाना– बोधगया जिला– गयाजी केस फाईल न0– 18एफ2024/013829	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	मास्टर सत्यार्थ कुमार पिता– रूपेश कुमार ग्राम+पो0– रामकरण पकडी थाना– चकिया जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– 16एफ2026/001040	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
5	सुरेन्द्र सिंह पिता– स्व0 शकर सिंह ग्राम– सिलौंधा पो0– डगरी थाना– कुदरा जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल न0– 18एफ2023/012827	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	कांति देवी पिता– राज मोहन साव ग्राम+पो0– खगौल थाना– खगौल जिला– पटना केस फाईल न0– 18एफ2025/015327	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	राधिका देवी पति– कृष्णा कुमार सिह ग्राम– बिशुन बिगहा पो0– टेंगरा थाना– बरूण जिला– औरंगाबाद केस फाईल न0– 18एफ2026/000459	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रिंकू कुमारी पिता– लालबहादुर सिह ग्राम– नवलिया पो0– दिघिटा थाना– कोचस जिला– रोहतास केस फाईल न0– 18एफ2025/018878	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मास्टर पुरूषोत्तम कुमार पिता– पांचू दास ग्राम– रामलाल दास ग्राम– नराईच पो0– सरावक थाना– कासमा जिला– औरगाबाद केस फाईल न0– 16एफ2025/002544	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

10	मो0 अजहर इमाम खान पिता– मो0 रफीक खान ग्राम– नीमा पो0– चेरकी थाना– गुरूआ जिला– गयाजी केस फाईल न0– 18एफ2025/012202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	इदु देवी पति– विजय नारायण ठाकुर ग्राम– कोइरियॉ पो0– सैसड थाना– दिनारा जिला– रोहतास केस फाईल न0– 16एफ2025/000804	बोन मैरो ट्रासप्लांट	5,00,000	पॉच लाख स्वीकृत।
12	विजय नारायण ठाकुर पिता– श्याम नारायण ठाकुर ग्राम– कोइरियॉ पो0– सैसड थाना– दिनारा जिला– रोहतास केस फाईल नं0– 18एफ2024/000370	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	बनारसी सिंह पिता– रामउग्रह सिह ग्राम– मलिकसराय पो0– चैनपुर थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0– 18एफ2026/003448	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	प्रेम प्यारी देवी पति– जवाहर प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0– हाटा थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0– 18एफ2025/022423	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सुरेन्द्र सिह पिता– रामअवतार सिह ग्राम– बेचनपुरवा पो0– अखौरीपुर गोला थाना– मुफ्फसिल जिला– बक्सर केस फाईल न0– 18एफ2026/007534	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

16	रीतू कुमारी पति– मनोज कुमार ग्राम– क्यू न के 2 चौधरी चौक डालमियानगर पो0+थाना– डालमियानगर जिला– रोहतास केस फाईल न0– 11एफ2025/008689	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	रूपा देवी पति– संजय कुमार ग्राम– सूर्य मिल स्टेशन रोड पो0+थाना– फतुआ जिला– पटना केस फाईल नं0– 18एफ2026/004282	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सजय प्रसाद पिता– रामाकात प्रसाद ग्राम+पो0– दुल्लहपुर थाना– सिमरी जिला– बक्सर केस फाईल न0– 18एफ2025/009662	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	प्राण देवी पति– हरिनारायण यादव ग्राम– धकधईया टोला खुरखुरवा पो0– तर्वालिया थाना– सेमरा जिला– पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0– 18एफ2026/005469	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	जितेन्द्र दुबे पिता– रामलगन दुबे ग्राम– राजेपुर पो0– लौरिया थाना– गोविन्दगंज जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– 18एफ2026/008916	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	रामसिह चौधरी पिता– झापस चौधरी ग्राम+पो0+थाना– गोबर्धना जिला– पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0– 18एफ2025/003567	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	मास्टर शिवनंदन कुमार पिता– पकज कुमार ग्राम– खोटवा पो0– नैयाडीह थाना– चर्कपथर जिला– जमुई केस फाईल न0– 16एफ2026/001098	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

23	मास्टर सुमित कुमार पिता– रामधनी चौहान ग्राम– विदुआ पो0– रानी किला थाना– अमरपुर जिला– बॉका केस फाईल न0– 16एफ2026/001000	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			29,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,40,000/- (**उनतीस लाख चालीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **3675632747** खाता धारक का नाम– **होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल,वाराणसी,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मगीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1757 (14) पटना, दिनाक– 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Indra Hospital
Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,
Akhari Bypass, N.H.-2 Road,
Varanasi 221011

पटना, दिनाक.. .. .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है.–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	माया देवी पति– अशोक कुमार ग्राम– टकसाल सगण पो0+थाना– सासाराम जिला– रोहतास	ट्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	चद्र भान सिंह पिता– राम आशीष सिंह ग्राम– तरहनी पो0– महुअत थाना– सोनहत जिला– कैमूर भभुआ	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/– (**एक लाख बीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686.. .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **701720110000018,** खाता धारक का नाम– **INDRA HOSPITAL,** खाते का प्रकार–, बैक का नाम– **BANK OF INDIA,** शाखा का नाम– **AKHARI, VARANASI,** RTGS/IFSC कोड स0– **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7 **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1758 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 001686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई –400012

पटना, दिनांक .. .

विषय.– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमा क	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राम प्रवेश प्रसाद पिता– शिव चन्द प्रसाद ग्राम– राजा बाजार मदिर गली पो0– बी भी कॉलेज थाना– हवाई अड्डा जिला– पटना केस फाईल न0– 11एफ2026 / 011359	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	नन्द किशोर प्रसाद पिता– स्व0 प्रेम सुन्दर प्रसाद ग्राम– चन्द्रनगर रॉको पो0– कोशी कॉलेज थाना– मुफ्फसिल जिला– खगडिया केस फाईल न0– सीएल / 11452	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अनूप कुमार पिता– कृष्णा मेहता ग्राम– नासरीगज शकर कोल्ड स्टोर दानापुर पो0– दीघा थाना– दानापुर जिला– पटना केस फाईल नं0– सीएम / 20624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो0 हारून रसीद पिता– स्व0 मो0 मुसा ग्राम– खोडवा पो0– दलन थाना– मुफ्फसिल जिला– कटिहार केस फाईल नं0– 11एफ2025 / 026714	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।

5	सावित्री कर्मकार पति– पतानु कर्मकार ग्राम– किशनपुर पो0– हेमकुज थाना– अमदाबाद जिला– कटिहार केस फाईल न0– 11एफ2025/026308	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	राजकुमारी देवी पति– राजेदर प्रसाद जैसवाल ग्राम+पो0– बछौता थाना– मोरकाही जिला– खगडिया केस फाईल न0– 11एफ2025/027491	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
7	दीपक कुमार पिता– भरत साह् ग्राम– कैथवार टोले सोनपुर पो0– कैथवार थाना– सकतपुर जिला– दरभगा केस फाईल न0– 11एफ2025/012074	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	आशीष राज पिता– अशोक पोद्दार ग्राम+पो0– बीहट थाना– बरौनी जिला– बेगूसराय केस फाईल न0– 11एफ2025/032135	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	जयप्रकाश सिह पिता– गीता सिह ग्राम– भुसीचक पो0– प्रसडो थाना– हवेली खडगपुर जिला– मुगेर केस फाईल न0– सीआर/09399	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मनिषा कुमारी पति– सजीत कुमार तिवारी ग्राम+पो0– तुरहापट्टी थाना– सिरिसिया जिला– पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0– सीएस/13898	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
11	योगेन्द्र पडित पिता– स्व0 अदालत पंडित ग्राम– खेम मटिहानियॉ पो0– दुर्ग मटिहानियॉ थाना– विश्वम्भरपुर जिला– गोपालगज केस फाईल न0– 11एफ2024/018585	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।
12	अनीता देवी पति– संतोष कुमार ग्राम– शाहपुर पो0– मनोहरपुर कछुआरा थाना– गोपालपुर जिला– पटना केस फाईल न0– 11एफ2025/016264	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	सिमरन जायसवाल पिता– स्व0 रूधिर प्रसाद ग्राम– काली सीन पो0+थाना– खुशरूपुर जिला– पटना केस फाईल न0– सीवी/00266	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			12,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,50,000/- (**बारह लाख पचास हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1002449683** खाता धारक का नाम– **टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– **टी0एम0एच0,** RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0284241 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1759 (14) पटना, दिनांक 16/6/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
फोर्टिस अस्पताल लि0,
मुलुन्द गोरेगाव लिक रोड,
मुम्बई 400078

पटना, दिनाक. . .. .

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रामाकांती सिह पति– अशोक कुमार सिह ग्राम– पुरानी कला पो0– पिटरो थाना– अगिआव जिला– भोजपुर	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686... ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **054113642901,** खाता धारक का नाम– **INTERNATIONAL HOSPITAL LIMITED,** खाते का प्रकार– **CURRENT**, बैक का नाम– **HSBC BANK**, शाखा का नाम– **JMD REGENT SQUARE, GURGAON-MEHRAULI ROAD, DLF PHAS II, GURGAON 122001**, RTGS/IFSC कोड स0– **HSBC0110005** मे अतरित किया जाता ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय**

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1760 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002686 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 न0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनाक

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गुलाम नवी आजाद पिता– मो0 इस्माइल ग्राम– पुरूषोत्तमपुर पो0– किशुनपुर मोहिनी थाना– कुढनी जिला– मुजफ्फरपुर सीएमसी न0– एआई 45267	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	अजित कुमार पिता– प्रदीप साव ग्राम– मैनपुरा पो0– जी पी ओ थाना– पाटलीपुत्रा जिला– पटना सीएमसी न0– 841421 एफ	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	शुभम कुमार पिता– मधुकर प्रसाद गुप्ता ग्राम– डुमरिया पो0+थाना– किशनगज जिला– किशनगज सीएमसी न0– 678186 डी	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	बबिता कुमारी पति– धर्मेद्र कुमार चद्रवशी ग्राम– भीमपुरा पो0– घोरहुआँ थाना– मसौढी जिला– पटना सीएमसी न0– एपी 75793	न्यूरो (ब्रेन) सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			5,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 5,00,000/– (पाँच लाख)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0–

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम– भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001618 मे अतरित किया जाता ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1761 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेश्लीटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड़,
हावडा–711103

पटना, दिनाक.... ....

विषय– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	दीप नारायण दिनकर पिता– भुनेश्वरी यादव ग्राम+पो0– डहरिया थाना– छातापुर जिला– सुपौल	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/–	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/– (एक लाख)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0–30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–**921030004381537,** खाता धारक का नाम– **मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल** लि0, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–AXIS BANK LTD, शाखा का नाम–सी0बी0बी0 बंगलौर **ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल,** RTGS/IFSC कोड स0 UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से**

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1762(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002686 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **सभी संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ– 160012

पटना, दिनाक. ..

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मो0 आशिक पिता– मो0 शमीम ग्राम– बुदेल पो0– कटिहार थाना– कटिहार जिला– कटिहार सीआर नं0– 202101429592	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0– 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम–"**डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0** " खाते का प्रकार– चालु बैंक का नाम– **एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम– **मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर–12, चंडीगढ** RTGS/IFSC कोड सं0 **01524** में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर **लिया जायेगा।**

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1763 (14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002686.की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 16/6/26

स0सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता–700027

पटना, दिनांक. . . ..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	प्यारे नवी पिता– मो0 कमरूद्दीन ग्राम– डीही पो0– रजहत थाना– अकबरपुर जिला– नवादा	हृदय रोग सीएबीजी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 75,000/–** (**पचहत्तर हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **232102000000002,** खाता धारक का नाम– बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**इंडियन ओवरसीज बैंक,** शाखा का नाम–**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकता–700027 ब्रांच,** RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1764(14) पटना, दिनाक 16/6/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0. 002686 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Healthcare Global Enterprises Ltd.,
No.8. HCG Towers. P. Kalinga Rao Road,
Sampangiram Nagar.
Bangalore - 560027

पटना, दिनाक .....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 10.06 2026 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सूर्यमल प्रसाद पिता– गोविन्द प्रसाद ग्राम– देव नया बाज़ार पो0+थाना– देव जिला– औरंगाबाद	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			5,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000 /– **(पाँच लाख)** रूपये का क्रास चेक स0..002684..... . . ..मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया**

जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1765(14) पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सम्बधित मरीज /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26

निदेशक प्रमुख